भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 214
27 नवंबर, 2024 को उत्तर के लिए

तटीय जलकृषि फार्मों के उद्देश्य

214 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) तटीय जलकृषि फार्मों के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
(ख) क्या यह सच है कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण ने देश में 5,500 से अधिक तटीय जलकृषि फार्म स्थापित किए हैं;
(ग) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में आन्ध्र प्रदेश के तटीय जिलों में स्थापित किये गए तटीय जलकृषि फार्मों का वर्ष-वार और तटीय जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
(घ) उपरोक्त जलकृषि फार्म से मछुआरों को अपनी आय और निर्यात बढ़ाने में किस सीमा तक सहायता मिलती है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): तटीय जलकृषि फार्म, तटीय क्षेत्रों में ऐसी इकाइयां हैं जहां की गतिविधियों में खारे या लवणीय पानी में एवं नियंत्रित स्थितियों में तालाबों, पेन, केजों, राफ्टों, घेरे में या बिना घेरे के मत्स्य, क्रस्टेशियन, मोलस्क, फिनफिश, सी वीड या किसी अन्य जलीय जीव को पाला जाना (कल्चरिंग) शामिल है और यहाँ नर्सरी रियरिंग भी की जाती है (मीठे पानी की जलीय कृषि शामिल नहीं है) ताकि मानव उपभोग और / अथवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ पोषक, स्वस्थ और सुरक्षित जलकृषि उत्पादों का उत्पादन तथा उनकी आपूर्ति हो सके ।

(ख): नहीं, तटीय जलकृषि प्राधिकरण की स्थापना तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तटीय जलकृषि गतिविधियाँ सतत (सस्टेनेबल) तरीके से की जाएं और इससे तटीय पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों की आजीविका की रक्षा की जा सके। तटीय जलकृषि फार्म जलीय-किसानों (एक्वा फारमर्स) द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जबकि तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2023 में संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार तटीय जलकृषि फार्मों के विनियमन के लिए, फार्मों को पंजीकृत करता है। 30 अक्टूबर 2024 तक, तटीय जलकृषि प्राधिकरण ने भारत के 9 तटीय राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 46,976 तटीय जलकृषि फार्म पंजीकृत किए हैं।

(ग) : विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तटीय जलकृषि प्राधिकरण के साथ पंजीकृत आंध्र प्रदेश के तटीय जलकृषि फार्मों की वर्षवार और तटीय जिलेवार विवरण अनुबंध में प्रस्तुत है ।

(घ) : तटीय जलकृषि में मुख्य रूप से श्रिम्प एक्वाकल्चर (*एल. वन्नामी और पी. मोनोडॉन प्रजातियों*) का प्रभुत्व है, जो एक लाभदायक उद्यम है और इसमें निर्यात की संभावनाएं है। तटीय जलकृषि द्वारा फार्मो, हैचरियों, फीड प्लांटों, प्रोसेसिगं प्लांटों, कोल्ड स्टोरेज यूनिटों और अन्य संबद्ध उद्योगों के मत्स्यन कर्मियों सहित तटीय समुदायों को रोजगार प्राप्त हो रहा है ।

श्रिम्प एक्वाकल्चर (फ्रोज़न श्रिम्प) समुद्री खाद्य निर्यात में प्रमुख वस्तु है एवं समुद्री खाद्य निर्यात के मात्रा और मूल्य के आलोक में इसका बड़ा योगदान है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	समुद्री खाद्य निर्यात			फ्रोज़न श्रिम्प निर्यात		
	मात्रा (एमटी)	भारतीय मूल्य (रुपए करोड़ में	यूएस $ (मिलयन)	मात्रा (%)	भारतीय मूल्य (रुपए करोड़ में	यूएस $ (मिलयन)
2021-22	1369264	57586.48	7760.00	728123	42706.04	5828.59
2022-23	1735286	63969.14	8094.00	711099	43135.59	5481.63
2023-24	1781602	60523.89	7380.00	716004	40013.54	4881.27

(स्रोत: एमपीईडीए)

******

अनुबंध

27.11.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 214 के भाग (ग) में उल्लिखित विवरण : तटीय जलकृषि प्राधिकरण के साथ पंजीकृत आंध्र प्रदेश के तटीय जलकृषि फार्मों की वर्षवार और जिलेवार विवरण

	वर्ष 2021-2022	**वर्ष 2022-2023**	**वर्ष 2023-2024**	**वर्ष 2024-25 (30 अक्टूबर 2024 तक)**
जिला	**कुल फार्म (सं.)**	**कुल फार्म (सं.)**	**कुल फार्म (सं.)**	**कुल फार्म (सं.)**
अनकापल्ली	-	25	12	17
बापतला	-	358	136	75
डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा	-	-	-	7
पूर्वी गोदावरी	40	-	-	-
गुंटूर	12	541		
काकीनाडा		27	7	2
कृष्णा	10	76	-	-
नेल्लोर	285	191	-	-
प्रकाशम	13	117	-	-
एसपीएसआर नेल्लोर	-	-	-	-
श्रीकाकुलम	179	67	66	12
तिरुपति	-	-	4	4
विशाखापट्टनम	7	3	-	-
विजयनगरम	1	4	-	-
पश्चिमी गोदावरी	-	-	-	-
(कुल)	547	1409	225	117

*****